

20-03-18

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही/उर्पापण तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हुआ है कि परिवादी द्वारा इस आशय का परिवाद पेश किया गया कि रामभरोसे शिक्षा प्रसार समिति की ओर से भूमि क्रय की थी, किन्तु अभियुक्त दिलीपसिंह ने जानबूझकर छल करने के आशय से मिथ्या दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी किरण के नाम वर्ष 2006 में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। इस कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 67, 468 भादवि0 के अधीन न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2012 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण की उपस्थिति हो चुकी है।

घटना दिनांक दफ़्तर संशोधन 2008 के पूर्व का है किन्तु मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत रमेश कुमार सोनी विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2013 किमनल लॉ जनरल 1738 सुप्रीमकोर्ट में ऐसे मामले उर्पापण योग्य माने हैं।

उभयपक्षों के तर्क सुने गये। प्रकरण का अवलोकन किया।

अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण दिनांक 10.03.2018 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं, कोई भी अन्य सारवान कार्यवाही नहीं हुई है। उनके संबंध में विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे में उनका मामला मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत रमेश कुमार सोनी (उपरोक्त) में यह प्रतिपादित किया गया है कि द0प्र0सं0 1973 में म0प्र0 संशोधन 2008 दिनांक 22.02.08 के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी कि ऐसे मामले जो कि उक्त संशोधन के पूर्व के हो और एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हों वे उर्पापित नहीं होंगे, किन्तु जो मामले एडवांस स्टेज पर न पहुंचे हो उनके संबंध में उक्त संशोधन भूतलच्छी प्रभाव रखेगा। इस मामले में अभियुक्त के संबंध में आरोप भी विरचित नहीं हुए हैं ऐसे में उसका विचारण भी प्रारंभ नहीं हुआ है और मामला एडवांस स्टेजपर नहीं आया है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में प्रकरण में अभियुक्त दिलीपसिंह एवं किरण यादव का विचारण की अधिकारिता इस न्यायालय को न पाते हुए अनन्यतः मान0 सत्र न्यायालय को प्राप्त होना पाई जाती है।

अतः अभियुक्तगण का मामला दफ़्तर की धारा 209 सहपठित धारा 323 के आलोक में मान0 सत्र न्यायालय भिण्ड को उर्पापित किया जाता है।

प्रकरण मे द0प्र0सं0 की धारा 207 के अधीन परिवादपत्र एवं सलग्न दस्तावेजों की प्रति प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण मे निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय मे प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

अभियुक्तगण यदि अभिरक्षा में रहा हो तो उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

प्रकरण उपापण की सूचना मान0 सत्र न्यायालय में संधारण की दृष्टि से किए जाने बावत् प्रकरण पत्रावली मय ज्ञापन के मान0 सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित की जावे।

आगामी दिनांक को अभियुक्तगण आवश्यक रूप से ठीक 11:00 बजे माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष उपस्थित रहने के लिये आदेशित किये जाते हैं।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 03.04.18 को पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)